

169
25

राज्य सरकार द्वारा जारी
किया गया है कि राज्य-वार
किसी भी राज्य में दो से अधिक
बार पत्रिकाओं को निकालने
की अनुमति नहीं दी जायेगी
दिनांक 23-9-75 को ध्यान में

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
फ़िरोज़पुर (अजमेर)